

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी:- अमिता बिश्नोई आरएएस

मुकदमा संख्या:- 040/2024

जसवीर पाल कौर पत्नी शिवराज सिंह जाति रामदासिया साकिन 1 एल जी डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान ।

प्रार्थिया

—:बनाम:—

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।

अप्रार्थी

—:प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट बाबत दुरुस्ती:—

—: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

- | | |
|--|--------------|
| 1. श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता | — प्रार्थिया |
| 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा | — अप्रार्थी |

—: निर्णय :-

दिनांक:- 06-09-24

प्रार्थना पत्र प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध जरिये अधिवक्ता श्री जगजीत सिंह रमाणा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थिया की ओर से निम्न प्रकार से है— प्रार्थना पत्र मे दर्ज प्रार्थिया का पंजीकृत पता सही दर्ज किया है। प्रार्थिया के नाम चक 47 एस एस डब्ल्यू के खाता सं. 6/6 के प.नं. 62/325 के मु.नं. 14 के किला नं. 5/1/0.215, 5/2/0.038, 6/1/0.240, 6/2/0.013, 14, 15/1/0. 240, 15/2/0.013, 16/1/0.240, 16/2/0.013, 17, 24, 25/1/0.240; 25/2/0.013 व प.नं. 63/325 के मु.नं. 13 के किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0. 025, 9, 10, 11, 20, 21 की कुल 3.795 हैक. नहरी गैर मु. रास्ता राजस्व दर्ज रिकार्ड है जिसमें कि मिन प्रार्थिया का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है इस कृषि भूमि मे प्रार्थिया का 1/2 हिस्सा मे प्रार्थिया का नाम जसवीर कौर पत्नी शिवराज सिंह गलत रूप से लिखा गया है जबकि प्रार्थिया के नाम जसवीर पाल कौर पत्नी शिवराज सिंह है । प्रार्थिया के नाम सयुक्त खाता की कृषि भूमि में जसप्रीत कौर सहखातेदार प्रार्थिया की रिश्ते में चाची सास लगती है।

प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि मिन प्रार्थिया व सहखातेदार जसप्रीत कौर द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा श्रीमती करतारो देवी पत्नी बलदेवराम जाति मेघवाल साकिन 1 एल जी डब्ल्यू हाल बवनपुर तहसील रतिया जिला फतेहाबाद हरियाणा से दिनांक 19.03.2021 को रोबरू गवाहान खरीदशुदा है। प्रार्थिया ने उक्त कृषि भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा मिन प्रार्थिया जसवीर पाल कौर पत्नी शिवराज सिंह के नाम से खरीदशुदा है प्रार्थिया का नाम जसवीर पाल कौर पत्नी शिवराज सिंह है इसी नाम से जरिये पंजीकृत बैयनामा कृषि भूमि खरीदशुदा है मिन प्रार्थिया का नाम आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पैन कार्ड, में भी जसवीर पाल कौर है इसी नाम से बैयनामा द्वारा कृषि भूमि खरीद की गई है प्रार्थिया का नाम जसवीर पाल कौर हर दस्तावेज मे सही दर्ज है लेकिन प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित कृषि भूमि का नामान्तरण दर्ज करते समय अप्रार्थी द्वारा जसवीर पाल कौर की जगह जसवीर कौर गलत व सहवन से दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थिया का सही नाम जसवीर पाल कौर है मिन प्रार्थिया को अपने घरेलू कार्यों की आवश्यकता के लिए जमाबंदी की आवश्यकता हुई तो मिन प्रार्थिया को पता चला की, प्रार्थिया का नाम बैयनामा की रूह से सही दर्ज नहीं किया गया है बल्कि गलती व सहवन से जसवीर कौर गलत दर्ज कर दिया गया है इस कारण प्रार्थिया अपना सही नाम जिस नाम से बैयनामा द्वारा कृषि भूमि खरीद की गई है जसवीर पाल कौर पत्नी शिवराज सिंह का नाम दर्ज करवाने की अधिकारीता रखती है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थिया का नाम जसवीर कौर पत्नी शिवराज सिंह गलत व अविधिक रूप से दर्ज है कि जगह प्रार्थिया का सही नाम जो बैयनामा व आधार कार्ड, पैन कार्ड,

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

जनआधार कार्ड में दर्ज है जसवीर पाल कौर पत्नी शिवराज सिंह दर्ज व दुरुस्त करवाने का अधिकारीनी है। 4. यह कि प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है अप्रार्थी तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को भू-राजस्व होने के कारण पक्षकार बनाया गया है प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर अंदर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 47 एस एस डब्ल्यू के खाता सं. 6/6 के प.नं. 62/325 के मु.नं. 14 के किला नं. 5/1/0.215,5/2/0.038, 6/1/0.240, 6/2/0.013, 14, 15/1/0.240, 15/2/0.013, 16/1/0.240, 16/2/0.013, 17, 24, 25/1/0.240, 25/2/0.013 व प.नं. 63/325 के मु.नं. 13 के किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 9, 10, 11, 20, 21 की कुल 3.795 है. नहरी गैर मु. रास्ता राजस्व दर्ज रिकार्ड है जिसमें कि मिन प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है मे प्रार्थीया का नाम जसवीर कौर पत्नी शिवराज सिंह दुरुस्त कर जसवीर पाल कौर पत्नी शिवराज सिंह दर्ज किए जाने के आदेश फरमाए जावें ।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चक 47 एसएसडब्लू के खाता न. 6 में 3.795 है. रकबा जसवीरकौर पत्नी शिवराज जाति रामदासिया सा. 1 एल.जी.डब्लू के नाम 1/2 हि. दर्ज रिकार्ड है। ना.स. 586 बैयनामा से उक्त नाम जसवीरकौर पत्नी शिवराज जाति रामदासिया सा. 1 एल.जी डब्लू के नाम से खरीद किया है। प्रार्थी का नाम ना.क. दर्ज करते समय सहवन से जसवीरपालकोर की बजाय जसवीरकोर दर्ज दर्ज हो गया है।

बहस में प्रार्थीया के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया का नाम आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक आदि में प्रार्थीया का नाम जसवीरपाल कौर दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम चक 47 एसएसडब्लू के खाता न. 6 में 3.795 है. रकबा जसवीरकौर पत्नी शिवराज जाति रामदासिया सा. 1 एल.जी.डब्लू में 1/2 हि. दर्ज रिकार्ड हो गया है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा से प्राप्त रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजों साक्ष्यों के आधार प्रार्थीया नाम जसवीरपाल कौर पत्नी शिवराज सिंह राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जाना उचित है।

—:: आदेश ::—

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात, साक्ष्यों, सबूतों एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाकर निर्णय किया जाता है कि तहसील पीलीबंगा के 47 एसएसडब्लू के खाता नं. 6 में 3.795 है. रकबा में 1/2 हिस्सा में जसवीरकौर पत्नी शिवराज के स्थान पर प्रार्थीया का नाम जसवीरपाल कौर पत्नी शिवराज सिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक सुनाया गया।

को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में

(अमित सहविक कलक्टर) एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा